न्यायालय माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर म0प्र0

निगरानी-0058/2019/शिवपुरी/भू.रा.

प्र0क0 /2018 निगरानी

प्रहलाद जाटव पुत्र श्री नत्थू जाटव निवासी ग्राम दर्रोनी तहसील व जिला शिवपुरी म0प्र0 ....**आवेदक**

बनाम

1. हउआ पुत्र स्व0श्री गनपतिया जाटव निवासी ग्राम दर्रोनी तहसील व जिला शिवपुरी म0प्र0
2. पददू पुत्र स्व0श्री गनपतिया जाटव (मृतक)
3. बूधो पुत्री स्व0श्री गनपतिया जाटव (मृतक)
4. सामन्दे पुत्री स्व0श्री गनपतिया जाटव निवासी ग्राम गूगरीपुरा तहसील व जिला शिवपुरी म0प्र0
5. गया, 6. सुरेश पुत्रगण स्व0श्री नत्थू जाटव निवासीगण ग्राम दर्रोनी तहसील व जिला शिवपुरी म0प्र0

......**अनावेदकगण**

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय संभाग ग्वालियर द्वारा प्र0क0 779/15-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 08.11.2017

आदेश की जानकारी दिनांक 08.01.2018

श्रीमान महोदय,

सेवा में आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्न पेश है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि आवेदक एवं अनावेदक क0 5 गया एवं अनावेदक क0 6 सुरेश सगे भाई है एवं अनावेदक क0 1 हउआ एवं अनावेदक क0 2 पददू आवेदक के चाचा है तथा अनावेदक क0 3 बूधो एवं अनावेदक क0 4 सामन्दे आवेदक की बुआ है। आवेदक एवं अनावेदक क0 5 एवं 6 के पिता नत्थू जाटव एवं अनावेदक क0 1, 2, 3, 4 के पिता गनपतिया जाटव है इस प्रकार गनपतिया जाटव आवेदक के दादाजी है। गनपतिया जाटव का लगभग 30-35 वर्ष पूर्व देहांत हो चुका है तथा आवेदक के पिता नत्थू जाटव का भी लगभग 30 वर्ष देंहांत हो चुका है तथा अनावेदक क0 2 व 3 का भी पूर्व में देंहांत हो चुका है। अनावेदक क0 2 अविवाहित थे।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 58/2019/शिवपुरी/भू0रा0

प्रहलाद जाटव विरूद्ध हउआ आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
05–8–2019	प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक अभिभाषक श्री आर0एस0 सेंगर द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ आवेदक अभिभाषक का मुख्य रूप से तर्क है कि तहसील न्यायालय के नामांतरण पंजी पर पारित बटवारा आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने अवधि बाह्य होने से अपील अस्वीकार की गई जिसके विरूद्ध अपर आयुक्त ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जो आदेश दिनांक 08–11–2017 से अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3/ प्रकरण का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–7–2018 को हुए संशोधन अधिनियम 2018 के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के प्रश्चात दिनांक 03–01–2019 प्रस्तुत की गई है। संशोधन के फलस्वरूप मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50(2)(ख) अनुसार इस संहिता के अधीन द्वितीय अपील में पारित किसी आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन नहीं किया जायेगा। ऐसी स्थिति में चुंकि अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त ग्वालियर सम्भाग द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण आवेदन प्रचलन योग्य नहीं है। अतः निगरानी आवेदन सुनवाई के लिए अग्राह्य किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (जे 0क0 जैन) सदस्य	